राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 175 / 2024
GCMS No. 2024 / 374

मेवा देवी पत्नी मांगू राम जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं. 12 प्रतापपुरा तहसील खेतडी जिला नीमकाथाना, राज0

.......वादिया

ब–ना–म

1. रघुवीर पुत्र माधा
2. कोशल्या पुत्री माधा
3. सुनहेरी पुत्री माधा
4. मेवा पुत्री माधा
   जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं. 12 प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी जिला नीमकाथाना, राज0
5. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पपुरना जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

.......प्रतिवादीगण

वाद घोषणात्मक एवं नाम दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व

धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

वकील वादी – श्री रामनरेश सैनी

:: निर्णय :: दिनांक :– 18.06.2025

वादिया की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 लगायत 2079 हाल खाता संख्या 526 रकबा 0.33 है., ख.नं. 871 रकबा 1.10 है., ख.नं. 892 रकबा 0.76 है., ख.नं. 899 रकबा 0.41 है., ख.नं. 905 रकबा 0.20 है., ख.नं. 912 रकबा 0.77 है. कुल किता 6 कुल रकबा 3.57 है. का वादिया का पति संयुक्त खातेदार काश्तक[illegible] रिकार्ड है। वादिया के पति का सही नाम मांगू राम पुत्र महादा [illegible] वादिया के पति के मृत्यु प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड आदि में उसके [illegible] राम पुत्र [illegible] राम ही दर्ज है। उक्त वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में [illegible] पुत्र माधा दर्ज कर दिया गया जबकि सही नाम मांगू राम पुत्र महादा [illegible] इस प्रकार वादिया के पति की वल्दियत (पति के पिता का नाम) गलत दर्ज हो गया। उक्त भूमि के रिकार्ड में वादया के पति की वल्दियत गलत दर्ज होने से वादिया को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वादिया व उसके बच्चों के नाम से विरासतन नामांतरकरण दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.08 17:06:36 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

नहीं हो रहा है। इसलिए वादिया को उक्त खातेदारी भूमि में अपने पति की वल्दियत (पति के पिता का नाम) दुरूस्त करवाने बाबत यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2076 लगायत 2079 हाल खाता सं. 107 के हाल ख.नं. 526 रकबा 0.33 है., ख.नं. 871 रकबा 1.10 है., ख.नं. 892 रकबा 0.76 है., ख.नं. 899 रकबा 0.41 है., ख.नं. 905 रकबा 0.20 है., ख.नं. 912 रकबा 0.77 है. कुल किता 6 कुल रकबा 3.57 है. में दर्ज वादिया के पति का नाम मांगू राम पुत्र माधा हजफ किया जाकर उसके स्थान पर मांगू राम पुत्र महादा राम घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद करवाया जावे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण सं. 1 लगा. 5 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी सं. 6 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः भू.अ./2024/4017 दिनांक 12.09.2024 एवं 1091 दिनांक 18.09.2024 से बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की है तथा पटवारी हल्का गाडराटा की मूल बिन्दुवार रिपोर्ट पेश की है जो बाद शामिल पत्रावली की गई।

वादिया की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत् 2076–2079 खाता सं. 107 ग्राम प्रतापपुरा, फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र मांगूराम, फोटो प्रति आधार कार्ड मांगूराम, मेवा देवी, फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र मांगू पेश किये गये तथा मौखिक साक्ष्य में शपथ–पत्र मेवा देवी पत्नी मांगूराम व विधा देवी पत्नी लक्ष्मण राम गुर्जर भी पेश किया।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं तहसीलदार, खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार, खेतड़ी ने पत्र क्रमांकः भू.अ./2024/4017 दिनांक 12.09.2024 व 1091 दिनांक 18.09.2024 द्वारा वादिया के पति का नाम मांगुराम पुत्र माधा के स्थान पर मांगूराम पुत्र महादा राम किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है। राजस्व ग्राम प्रतापपुरा की जमाबंदी संवत् 2076–79 के खाता संख्या 107 में वादिया की प्रार्थना अनुसार नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक वाद वादी स्वीकार कर डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम **प्रतापपुरा** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि हाल खाता संख्या नया 107 में वर्तमान में दर्ज नाम "**मांगुराम पुत्र माधा**" के स्थान पर "**मांगूराम पुत्र महादा राम उर्फ माधा**" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। [illegible] प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी। उक्तानुसार अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18·06·2025 को [illegible] में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.08 17:06:36 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं (राज.)

ठासीन अधिकारी – मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

उनवान

मेवा देवी

ब–ना–म

रघुवीर आदि

वा बाबत घोषणात्मक एवं नाम दुरूस्ती

कदमा नम्बर :– 175 / 2024 GCMS No. 2024 / 374

र्णय दिनांक :– 18.06.2025

वादी की ओर से श्री रामनरेश सैनी एडवोकेट की व प्रतिवादीगण की ओर से ..... की परिस्थिति में इस वाद में आज तारीख ...18/6/25... को मेरे समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

"अतः वाद वादिया स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम प्रतापपुरा तहसील खेतड़ी स्थित ूमि हाल खाता संख्या नया 107 में वर्तमान में दर्ज नाम "मांगुराम पुत्र माधा" के स्थान पर मांगूराम पुत्र महादा राम उर्फ माधा" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर खातेदार काश्तकार ोषित किये जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत् रहेंगी।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख ....18.06.2025... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2025.07.08 17:06:36 IST
Reason: SelfAttested

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलेक्टर
खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं